



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०य०एल०एम०) उ०प्र०

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,— सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक— 664 /241/NULM/ तीन/ 2001(EST&P)Vol-III

दिनांक 20-9-16

शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

विषय: EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन के पश्चात द्वितीय किश्त जारी करने के संबंध में
महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक EST&P के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं(STP) को
आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष न्यूनतम 50% प्रशिक्षणार्थियों को सेवानियोजित किया जाना अनिवार्य है।

कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं(STP) के इम्पैनलमेंट हेतु जारी RFP No. 4692/241/NULM/ TEEN/
2014(EST&P), दिनांक 19.02.2015 के Annexure-C: Terms of Reference (ToR) के बिन्दु संख्या-6.1 के
प्रस्तर-2 एवं SUDA के पत्रांक-883/241/NULM/TEEN/2011(EST&P), दिनांक 08.06.2016 के बिन्दु
संख्या-13 के प्रस्तर-2 और STP के द्वारा किये गये MoA के बिन्दु संख्या-घ के प्रस्तर-2 के अनुसार
STP को द्वितीय किश्त निम्नवत के पश्चात जारी की जायेगी :

- On successful completion of training of respective batches and documentary proof of certification and placement process initiation.
- On completion of training and submission of completion report along with photograph of trainees including details of conducted the training.
- Submission of detail assessment reports and all photo copy of certificates of trainees and placement details which includes appointment letter from employers and beneficiaries undertaking for self employment including bank financing details.

- उपरोक्तानुसार असेसमेंट में सफल प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन का विवरण प्रस्तुत करने के
पश्चात द्वितीय किश्त भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः STP द्वारा द्वितीय किश्त मांग किये जा रहे
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के सापेक्ष न्यूनतम 50% प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन का विवरण CMMU/DUDA
को प्रस्तुत करने के पश्चात द्वितीय किश्त जारी की जाये।

उपरोक्तानुसार नियमानुसार समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सम्पादित की जाये।

महामार्ग
(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, दूडा उ०प्र०।
3. समस्त सिटी मिशन मैनेजर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०।
4. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक